

— आदेश —

लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर कर्मचाला अनुदेशक वेल्डिंग (मैदानी समूह) वेतनकम रु० 5000-1000 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत गठगार्ह मल्ले सहित पदभार ग्रहण करने की लिखि मे निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके नाम के सामुख अंकित संख्या में की जाती है। उनकी यह नियुक्ति पूर्णतय: अस्थाई है एवं नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवाये शासनादेश संख्या-20/1/74-3, दिनांक- 11 जून, 75 के अनुसार विन्ही भी, समय विन्ही भी पत्र द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सक्ती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम से सात्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सात्यापन किये जाने पर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति/पिछड़े वर्ग जैसाकि अभिव्यक्त है, का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई वगरण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण-पत्र दिये जाने को सम्बन्ध में भारतीय दण्ड शांहिता के लघबन्धों के अन्तर्गत बिना विन्ही पूर्णप्रह को आगे की कार्यवाही की जायेंगी।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र आगडार का पता	स्थाई पते का जनपद	संख्या का नाम जहाँ नियुक्ति की जाती है
1	2	3	4
1-	सर्वश्री राजत सिंह पुत्र स्व० श्री श्याम लाल जी द्वारा श्री भुल्लगी सिंह म०न० 414/गाऊ भण्डी रुड़ली पिन- 247 667	हरिद्वार (उत्तरांचल)	राजकीय पालीटेक्निक, मुसनाबाद
2-	शिलाचन पुत्र स्व० श्री कौदार नारा विश्वकर्मा (लेब तकनीशियन) वर्कशाप/मैकेनिकल इंजीन विभाग, आई०ई०टी०एम०जे०पी० सहस्राखण्ड विश्व विद्यालय, बरेली। 243 006	समबरेली	राजकीय पालीटेक्निक, बरेली।
3-	हनुमान कुटार पुत्र श्री महावीर प्रसाद ग्राम- मगुरीपुर पी०-हरबरापुर जिला-कानपुर नगर। 209 206	कानपुर नगर	राजकीय पालीटेक्निक, झांसी।
4-	नरेन्द्र धर गाण्डेग पुत्र स्व० श्री श्रीराम गाण्डेग म०न० 124/169 ब्लाक-सी मोदिन्दनगर, कानपुर नगर 208 006	मुल्तानपुर	संजय शौधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर (मुल्तानपुर)।
5-	राजेश कुमार पुत्र श्री राम धरन रत्नेश पशुचिकित्सालय जेल रोड, सीतापुर। 261 001 (उत्तर प्रदेश)।	सीतापुर	राजकीय पालीटेक्निक, बहराइच।

नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी उरिधता बाद में निर्धारित की जायेंगी। सारांशतः अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

- 1- सभी शैक्षिक एवं अनुमान सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
- 2- जो राजपत्रित अधिकारियाँ जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त शरितः प्रमाण-पत्र।
- 3- एक पदनी जीतित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र।
- 4- मुख्य चिकित्सकाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
- 5- भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण-पत्र।